धारा 145 : माइक्रो फिल्मों, दस्तावेजों की प्रतिकृति प्रतियों और कम्प्यूटर प्रिन्ट–आउट की दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी–

(क) किसी दस्तावेज की माइक्रो फिल्म या ऐसे माइक्रो फिल्म में जड़ा हुआ चित्र या जड़े हुए चित्रों की पुनः प्रस्तुति (चाहे वे बड़े हो अथवा नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

(ग) किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई विवरण और जो किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित किसी मुद्रित सामग्री में सम्मिलित है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए; या

(घ) किसी युक्ति या मीडिया में इलैक्ट्रॉनिक रूप से भण्डारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की तैयार की गई हार्ड प्रतियां भी हैं,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे स्वीकार्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की किसी विषय–वस्तु के साक्ष्यस्वरूप या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के कारण साक्ष्य में कथन करने की ईप्सा की गई है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र–

(क) जो ऐसे दस्तावेज की पहचान करता है जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया था;

(ख) जो उस दस्तावेज को तैयार करने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को प्रस्तुत करता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाणपत्र में कथित किसी मामले का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु किसी मामले के संबंध में यह पर्याप्त होगा कि उसका कथन उसे करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से किया गया है।